कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर म0प्र0

क्रमांकः क्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा–144/225/2021 ग्वालियर, दिनांकः 14.04.2021

।। आ दे श ।।

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एसओपी, विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा कोराना कर्फ्यू लगाने के संबंध में प्रस्तुत ज्ञापन के परिपेक्ष्य में ग्वालियर जिले में कारोना संकमित मरीजों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 13.04.2021 को जिला स्तरीय काइसेस कमेटी की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सर्वसम्मति से ग्वालियर जिले में लगभग एक सप्ताह का कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने का निर्णय लिया गया ।

अतः सभी सामाजिक संगठनों से प्राप्त ज्ञापन तथा जिला स्तरीय काइसेस कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय उपरांत कोविड–19 पॉजिटिव केसेज की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने तथा आमजन के स्वास्थ्य एवं जान–माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लोक हित में **ग्वालियर नगर निगम सीमा क्षेत्र, डबरा नगरीय सीमा क्षेत्र, भितरवार नगरीय सीमा क्षेत्र में दिनांक 15.04.2021 को प्रातः 06.00 बजे से 22.04.2021 को प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाता है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नानुसार सेवाऐं मुक्त रहेंगी :–**

(1) अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन।

(2) अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडीकल इन्श्योरेन्स कम्पनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं

(3) केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलीवरी), रेस्टॉरेंट (केवल होम डिलीवरी), पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम एवं आई.टी.कम्पनियां

(4) प्रातः 06.00 बजे से 10.00 बजे तक दूध, टोस, ब्रेड, अण्डे का विकय

(5) औद्योगिक इकाईयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन

(6) एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली–कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोइ गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिए परिवहन

(7) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें (पीडीएस)

(8) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन

(9) इलेक्ट्रिशयन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन

(10) कन्सट्रक्शन गतिविधियों (यदि मजदूर कन्सट्रक्शन कैम्पस/परिसर में रूके हों)

(11) कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि)

(12) परीक्षा केन्द्र पर आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी एवं अधिकारीगण

(13) अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी

(14) राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल हेतु आवागमन कर रहे किसान बन्धू

(15) बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने–जाने वाले नागरिक

(16) अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण

(17) होटल (केवल इन–रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)

(18) कोरोना कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह के आयोजन वर–वधू के दोनों पक्षों की कुल 50 सदस्यों की संख्या में आयोजित हो सकेंगे, जिस हेतु केवल विवाह समारोह की लिखित सूचना संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को दी जाना अनिवार्य होगा।

रिमार्क :– होम डिलेवरी सेवाओं हेतु संबंधित संस्थान को डिलीवरी बॉय के लिये संस्थान का आई कार्ड जारी करना आवश्यक होगा तथा डिलीवरीकर्ता को उसे धारण करना अनिवार्य होगा।

(19) फल/सब्जी का विकय निम्नानुसार किया जा सकेगा :–

1– लक्ष्मीगंज सब्जी मण्डी एवं पुरानी छावनी एबीरोड स्थित फल मण्डी रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 04.00 बजे तक ही खुलेंगी। इस दौरान ही बाहर से आने वाले सब्जी विकेताओं से होलसेल लायसेंसधारियों तथा होलसेल लायसेंसधारियों से सेमी होलसेलकर के मध्य कय–विकय किया जा सकेगा । प्रातः 4.00 बजे मण्डी बंद हो जावेगी।

2– किसान निम्नानुसार 10 विक्रय केन्द्रों से प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक किसान, सेमी होलसेलकर, फुटकर विक्रेताओं एवं चलित हाथ ठेले वालों को सब्जी का विक्रय कर सकेंगेः

1–रामलीला मैदान मुरार, 2– मेलाग्राउंड क्रमांक–1, 3– मेलाग्राउंड क्रमांक–2, 4– मेलाग्राउंड क्रमांक–3, 5– मेलाग्राउंड क्रमांक–4, 6–हजीरा मनोरंजनालय का मैदान, 7–तिघरा रोड एस आर मेमोरियल के पास, 8–पोलीटेक्निकल कॉलेज झासी रोड, 9–गिरवाई नाके के पास, 10–बिजली घर के बगल में ।

3– हाथठेलों के माध्यम से प्रातः 07.00 बजे से 10.00 बजे तक नगर निगम सीमा क्षेत्र में ग्राहकों को विक्रय।

4– अन्य क्षेत्रों में फल/सब्जी का विक्रय क्षेत्र एसडीएम की व्यवस्था अनुसार किया जा सकेगा।

पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, आयुक्त नगर निगम ग्वालियर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर विभागीय वाहनों एवं अन्य माध्यमों से कोविड–19 हेतु मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, रोको–टोको संबंधी संदेश आवश्यक रूप से प्रसारित करेंगे। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर एवं इंसीडेंट कमांडर उक्तादेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करावेंगे।

आयुक्त नगर निगम नगरीय क्षेत्र में तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में फूड सप्लाई चैन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। कोरोना कर्फ्यू की अवधि उपरांत जिला स्तरीय क्राइसेस मेनेजमेंट ग्रुप की बैठकों में लिए निर्णय अनुसार पृथक से आदेश जारी किया जावेगा।

आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में वर्णित अनुसार दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

यह आदेश ग्वालियर जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः निर्वहन कराया जाना संभव नहीं है, अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। अपर संचालक जन संपर्क जिले में प्रकाशित सभी समाचार–पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निःशुल्क प्रकाशन और प्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 14.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर, म.प्र.

पृ.क्रमांकः क्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा–144/225/2021

ग्वालियर, दिनांकः 14.04.2021